

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गीतमबुद्धनगर।
- (2) समस्त जिला मैजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-3

लखनऊ

दिनांक: 03 अक्टूबर, 2020

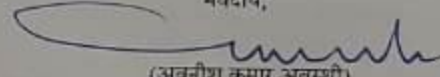
विषय:- "थाना दिवस/समाधान दिवस" को प्रत्येक माह के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को आयोजित किये जाने के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- संख्या-1742पी/छ:-पु-3-2014-42पी/2005, दिनांक 14.06.2014 के क्रम में निर्गत पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-डीजी-6-35(थाना दिवस)/2020, दिनांक 18.09.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अब थाना दिवस का आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार के स्थान पर द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को किया जायेगा तथा यह इस कारण किया जा रहा है कि शासन द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस हेतु प्रत्येक माह के प्रथम व तीसरे मंगलवार बैठक/कार्यवाही हेतु निर्धारित किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त थाना दिवस प्रत्येक माह के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया उपर्युक्त लिये गये निर्णय के अनुसार अग्रतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,



(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1645 (1)पी/छ:-पु-3-2020 एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या-डीजी-6-35(थाना दिवस)/2020, दिनांक 18.09.2020 के संदर्भ में।
2. स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जौनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त परिक्षेत्रीय, पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,



(डॉ० अनिल कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।

दावर 2, पुलिस भवन, शहीदफा, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002
पत्र संख्या: सीजी-6-35(थाना दिवस)/2020

दिनांक: सितम्बर 18, 2020

सेवा में,

सभरत जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,
पुलिस आयुक्त, जनपद-लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर,
सभरत पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र,
सभरत पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रमारी जनपद, उ०प्र०।

विषय:- कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जन समस्याओं के निराकरण के संबंध में थाना दिवस
(प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार) को शुरू करने हेतु दिशा-निर्देश।

कृपया अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव, गृह, उ०प्र० शासन ने समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन एवं अधोहस्ताक्षरी को अपने पत्र संख्या:1834/एसीएस/2020 दिनांकित 12.09.2020 द्वारा अवगत कराया है कि मा० मुख्यमंत्री जी ने थाना दिवस तत्काल शुरू करने के निर्देश दिये हैं। अतः उक्त सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाय:-

1- कृपया उपर्युक्त विषयक थाना दिवस से सम्बन्धित पूर्व शासनादेश संख्या-1682पी/18-110-3-2008-39पी/2008 गृह(पुलिस) अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक:5 मई, 2008 एवं शासनादेश संख्या-2201/छ-पु०-3-2008-42पी/2008 गृह (पुलिस) अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 16 जून, 2008 व शासनादेश संख्या-1742पी/छ-पु०-3-2014-42पी/2005 गृह (पुलिस) अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 14 जून, 2014 तथा इस मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत डीजी परिपत्र संख्या: 07/11, दिनांक: 22.2.2011 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के डीजी परिपत्र संख्या: 26/11, दिनांक: सितम्बर 23, 2001, एवं डीजी परिपत्र संख्या: 32/11 दिनांक: अक्टूबर 20, 2011 एवं डीजी परिपत्र संख्या: 35/2014 दिनांक: जून 03, 2014 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदेश के जनपदों में प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को थाना दिवस प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे के बीच आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2- अब थाना दिवस का आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार के स्थान पर द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को किया जायेगा तथा यह इस कारण किया जा रहा है कि शासन द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस हेतु प्रत्येक माह के प्रथम व तीसरे गंगलवार बैठक/कार्यवाही हेतु निर्धारित किया गया है।

कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जनसमस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में थाना समाधान दिवस (प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार) के आयोजन हेतु निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

SHO
25.9.20

Get
ack 11/09/20
ak 11/09/20
23/9/2020
K

925
DGP